

न्यायालय जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस.

राजस्व अपील : 81/2023

जी.सी.एम.एस. : 2023/194

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. मूलचन्द पारख पुत्र श्री सिमरथमल पारख, जाति ओसवाल, निवासी जालम निवास, पदमावती नगर, पावटा बी रोड, जोधपुर		1. भारत संघ जरिये सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, ट्रांसपोर्ट भवन 1, पार्लियामेण्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली 110001
2. मांगीलाल जाणी पुत्र जगमाल राम जाणी, जाति जाणी, निवासी खेतोलाई, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर (राज)		2. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया जरिये प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एन.एच.ए.आई., प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग युनिट (पी.आई.यू.), उम्मेद हेरिटेज, जोधपुर
		3. भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रोहट, जिला पाली (राज.)
		4. प्रोजेक्ट डायरेक्टर एवं एकजीक्युटिव इंजीनियर, एन. एच. डिवीजन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पाली (राज.)

अन्तर्गत धारा 3 G (V) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित :- प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप स्वामी

अप्रार्थी संख्या 01, 03 व 04 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना

-: निर्णय :-

दिनांक:- 22.07.2024

प्रकरण के संबंध में संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 3G(v) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.11.2022 एवं 29.11.2022 की पालना में भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट) द्वारा दिनांक 30.07.2014 को प्रार्थी के पक्ष में पारित अर्बोर्ड को संशोधन किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन में याची द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 26.02.2014 को होने तदनन्तर उक्त अधिनियम की धारा 3डी का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 16.06.2014 को होने एवं अर्बोर्ड दिनांक 30.07.2014 को भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट) द्वारा जारी किए जाने के बाद स्वयं के आवेदन अनुसार भूमि का मुआवजा प्राप्त कर कब्जा दे दिया जाना अवगत करवाया है। उक्त मुआवजे के विरुद्ध उसके द्वारा सिविल रिट अन्य प्रार्थीगणों के साथ दर्ज करवायी



जिला कलक्टर, पाली

गयी तथा उक्त याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.09.2019 से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3J को स्ट्रक डाउन कर दिये जाने के कारण स्वयं को सोलेसियम व ब्याज का हकदार मानने के आधार पर ब्याज व सोलेसियम प्राप्त करने के लिए यह माध्यस्थम आवेदन मय दफा 05 परिसीमा अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

उक्त आवेदन का खण्डन रेस्पोजेण्ट संख्या 01, 03 व 04 द्वारा यह कहकर किया गया है कि अर्बोर्ड अनुसार मुआवजा प्राप्त कर भूमि हस्तान्तरण पूर्ण कर वादी को भुगतान पूर्ण किया जा चुका है। उक्त अर्बोर्ड के संबंध में कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई है, देरीना के कोई कारण वर्णित नहीं है। जैर आराजी का कब्जा भी प्राप्त किया जा चुका है। माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त प्रकरण को विधिनुसार निस्तारित किए जाने के ही निर्देश दिये है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.09.2019 को तरसेम सिंह के प्रकरण में जो निर्णय पारित किया है वह इस प्रकरण पर लागू नहीं होता क्योंकि अर्बोर्ड दिनांक 01.01.2015 से पूर्व पारित किया गया है। अतः अर्बोर्ड द्वारा सोलेसियम राशि एवं ब्याज की गणना के संबंध में तथा उसे प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है। भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 23 के प्रावधान इस प्रकरण पर लागू नहीं होते है। यह अवाप्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत की गई है। प्रार्थी धारा 23(1ए) व 23(2) के अनुसार ब्याज का भी अधिकारी नहीं है। प्रार्थी की मुआवजा बाबत कोई आपत्ति नहीं करने, मुआवजा प्राप्त कर लेने एवं कब्जा दे देने के कारण अब माध्यस्थम के माध्यम से इस प्रकरण में पुनः अर्बोर्ड को संशोधित करने का कोई तथ्य एवं क्षेत्राधिकारिता नहीं है।

प्रकरण में हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनी गई। जिसमें उभयपक्षों द्वारा अपने लिखित अभिकथनों एवं उक्त वर्णित तथ्यों को ही अपने-अपने पक्ष में दोहराया।

हमारे द्वारा उभयपक्षों की बहस सुनी गई व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि :-

1. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3J व 3G(v) का यहां उल्लेख उचित है।

3J "Land Acquisition Act 1 of 1894 not to apply- Nothing in the land Acquisition Act, 1894 shall apply to an acquisition under this Act"

3G(v) "if the amount determined by the competent authority under sub-section (1) or sub-section (2) is not acceptable to either of the parties, the amount shall, on an application by either of the parties, be determined by the arbitrator to be appointed by the Central Government" है।

2. प्रकरण में यह भी सुस्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तरसेम सिंह को उद्धृत किया है। वह निम्नानुसार है-

"There is no doubt that the learned Solicitor General, in the aforesaid two orders, has conceded the issue raised in these cases. This assumes importance in view of the plea of Shri Divan that the impugned judgements should be set aside on the ground that when the arbitral awards did not provide for solatium or interest, no Section 34 petition having been filed by the Landowners on this score, the division bench judgements that are impugned before us ought not to have allowed solatium and /or interest. Ordinarily, we would have acceded to this plea, but given the fact that the government itself is of the view that solatium and interest should be granted even in cases that arise between 1997 and 2015, in the interest of justice we decline to interfere with such orders, given



जिला कलेक्टर, पाली

our discretionary jurisdiction under Article 136 of the constitution of India. We therefore declare that the provisions of the Land Acquisition Act relating to solatium and interest contained in Section 23(1A) and (2) and interest payable in acquisition made under the National Highways Act. Consequently, the provision of Section 3J is, to this content, violative of Article 14 of the Constitution of India and, therefore, declared to be unconstitutional. Accordingly, Appeal @ SLP(C) No. 9599/2019 is dismissed."

3. साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09.11.2022 द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिए गए हैं:-

"Needless to say that the Arbitrator after giving a reasonable opportunity of hearing to the petitioners shall decide the application so preferred by them by speaking order strictly in accordance with law."

4. उपरोक्त विधि के प्रावधान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तरसेम सिंह प्रकरण में किये गये निर्णय एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.11.2022 व 29.11.2022 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की उपरोक्त धाराओं तथा उभयपक्षों के कथनोपकथन एवं बहस तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के विधिक प्रावधानों के ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन कर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि प्रकरण में यह सुस्पष्ट स्थिति है कि इस प्रकरण में अर्बोर्ड दिनांक 31.07.2014 को पारित किये जा चुके हैं तथा याची स्वयं अपने आवेदन में यह स्वीकार करता है कि उसके द्वारा मुआवजा प्राप्त कर कब्जा दे दिया गया है तथा उसके द्वारा बवक्त अर्बोर्ड प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

प्रकरण में यह स्पष्ट है कि धारा 3G(v) माध्यस्थम की क्षेत्राधिकारिता के वर्णन में यह कहा गया है कि सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णित मुआवजा यदि किसी भी पक्ष को स्वीकार्य नहीं हो तो उक्त मुआवजा राशि का निर्धारण संबंधित पक्षकार द्वारा माध्यस्थम के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रकरण में स्थिति सुस्पष्ट है कि प्रार्थी स्वयं यह कहता है कि उसके द्वारा भूमि का मुआवजा प्राप्त कर लिया गया है तथा भूमि का कब्जा भी दे दिया गया है अर्थात् अर्बोर्ड दिनांक 30.07.2014 जिसे प्रार्थी विवादित बताता है, उसे प्रार्थी द्वारा बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लिया है तथा कब्जा दे दिया है। धारा 3G(v) माध्यस्थम की क्षेत्राधिकारिता यदि किसी मुआवजे को लेकर आपत्ति की गयी हो तथा राशि के निर्धारण को लेकर कोई विवाद हो तो माध्यस्थम की क्षेत्राधिकारिता बनती है।

5. इस प्रकरण में प्रार्थी द्वारा दिनांक 30.07.2014 के अर्बोर्ड में कोई आपत्ति प्रस्तुत की गयी हो, ऐसी कोई साक्ष्य रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी स्वयं यह स्वीकार करता है कि उसके द्वारा मुआवजा प्राप्त कर कब्जा दिया जा चुका है तो धारा 3G(v) जिसके तहत माध्यस्थम की क्षेत्राधिकारिता बनती है उसके तहत यह प्रकरण नहीं बनना प्रकट होता है।

6. यह न्यायालय इस प्रकरण में माध्यस्थम की क्षेत्राधिकारिता होना नहीं पाता। अतएव यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा अन्तर्गत धारा 3G(v) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, सारहीन होने से खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 22.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(एल.एन. मंत्री)

जिला कलेक्टर, पाली  
जिला कलेक्टर, पाली